केडीए सचिव को ज्ञापन सौंपा

कोटा, (निसं)। माँ वैष्णों व्यापार संघ बालाकुण्ड चौराहा, केशवपुरा तीन बत्ती मैन रोड़ कोटा के तत्वावधान में व्यापार संघ अध्यक्ष शमशेर परमानी के नेतृत्व में कोटा विकास प्राधिकरण सचिव को व्यापारियों की समस्या के समाधान बाबत् ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि बालाकुण्ड चौराहा से तीन बत्ती मेन रोड़ केशवपुरा-6 तक के व्यापारियों के लिये शौचालय एवं पेशाब घर की व्यवस्था नही है जिससे व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिस शौचालय का भी अविलम्ब निर्माण करवाया जावे साथ ही इस रोड पर स्थित डिवाईण्डर की कुछ जगह ऊँचाई कम है जिससे ऊँचा किया जावें ताकि आये दिन होने वाली दुर्घटनाएं पर रोक लग सकें एवम् डिवाइण्डर पर पूर्व में विद्युत पोल लगा हुआ था जो टुट गया है जिसके कारण अंधेरा रहता है पुनः डिवाईण्डर पर विद्युत पोल लगाया जाये।

नियमित टेस्ट दें, यही बनेंगे सफलता का आधार : नितिन विजय

■ मोशन एजुकेशन ने लॉन्च की 'ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज'

कोटा, (निसं)। जेईई की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सोमवार का दिन खास रहा। मोशन एजुकेशन ने द्रोणा-2 कैंपस में जेईई-2026 के लिए 'ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज' लॉन्च की।

संस्थान के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने इस अवसर पर कहा कि तैयारी को परफेक्ट बनाने का एक ही तरीका है-ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। इससे एग्जाम में सवाल हल करने की स्पीड बनती है, एक्यूरेसी बढ़ती है और एग्जाम का डर धीरे-धीरे खत्म हो जाता हैं।

नितिन विजय ने कहा कि प्रैक्टिस किसी भी स्टूडेंट की सफलता की रीढ़ है। टेस्ट में गलतियां पकड़ में आ जाएं तो असली परीक्षा में वहीं दोबारा नहीं होती। पहले ही एग्जाम जैसा माहौल मिलने से छात्र ज्यादा आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश करता हैं। उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल में जेईई की करीब 140 शिफ्ट हो चुकी हैं और पिछले 10 सालों में 13,000 से ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं।

नवंबर आधा से ज्यादा निकल चुका है और समय कम हैं। इतने सवाल हल करना संभव नहीं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए मोशन की टीम ने सवालों की गहन रिसर्च कर दोहराऐं गए या एक जैसे प्रश्नों को अलग किया और सिर्फ परीक्षा-उन्मुख सवालों को चुना। इस दौरान मोशन ज्वाइंट डायरेक्टर रामरतन द्विवेदी, डिप्टी डायरेक्टर निखिल श्रीवास्तव और कंटेंट हेड जयंत चित्तौड़ा भी उपस्थित थे।

ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज की खासियत:- नितिन विजय ने बताया कि 'ब्रह्मास्त्र' टेस्ट सीरीज के तीन चरणों में 69 टेस्ट के जरिए जेईई मेन से लेकर एडवांस तक की पूरी स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस होगी। इससे सीमित समय में अधिकतम प्रभावी तैयारी होगी। इसमें स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार कभी टेस्ट दे सकेंगे। असली एग्जाम जैसा माहौल और एग्जाम पैटर्न पर आधारित सटीक सवाल मिलेंगे। इससे उनकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस तीनों में सुधार होगा। टेस्ट के टेक्स्ट ओर वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराए गए हैं।

फन-फेस्ट का आयोजन हुआ

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी स्थित मोदी एजुकेशन इन्स्टीट्यूट के राधव स्टेडियम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फन फेस्ट का भव्य आयोजन किया गया। बाल मेले के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि शहर काजी जुबैर अहमद और मोदी संस्थान के चैयरमैन सुशील मोदी और ग्रुप डायरेक्टर राधव मोदी सहित मोदी ग्रुप के समस्त प्राचार्य रहे। मुख्य अतिथियों ने मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान के चैयरमैन सुशील मोदी ने कहा कि इस फन-फेस्ट के आयोजन से विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ उनकी क्रियाशीलता, सृजनात्मकता, एकाग्रता और मिलकर टीम भावना से कार्य करने की क्षमता का विकास होता हैं।

मोदी संस्थान मे शिक्षा के साथ सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन प्रतिभाओं को निखारने के लिए किया जाता हैं। ग्रुप के निदेशक राघव मोदी ने कहा कि बाल मेला मे विधारथियों द्वारा विभिन्न तरह के खाने-पीने, सहित मनोरंजक गेम्स, कलात्मक क्रियाओं आदि के कुल 122 स्टाल लगाए गए। साथ ही बताया कि शिक्षा अधिगम गतिविधियों का ही एक भाग है जिसमें मनोरंजन के साथ विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है। मोदी ग्रुप के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जिनमें सामूहिक नृत्य, गायन, रैम्प वॉक सम्मलित रहे।

विशेष आकर्षण का केन्द्र राजस्थान नृत्य घूमर, कालबेलिया आदि रहे। रैम्प वॉक में विभिन्न प्रदेशों की वेशभूषा से देश की संस्कृति की झलक देखने को मिली। मोदी संस्थान के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों मे आयोजन के प्रति उत्साह देखने को मिला।

इस बाल मेले का समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. आर.पी. मीणा एच.ओ.डी. ओर्थोपेडिक रहे। फन फेस्ट के समापन में लक्की ड्रॉ मुख्य अतिथि द्वारा निकाला गया। प्रथम विजेता को लेपटॉप द्वितीय विजेता को माइक्रोवेव तथा तृतीय नम्बर के तीन विजेताओं को साइकिल पुरुस्कार दिए गए।

सार-समाचार

विष्णु हरिहर को काव्यकलश सम्मान मिला

कोटा, (निसं)। महानगर कोटा की अर्द सदी पुरानी साहित्य संस्थाओः में से एक संस्था 'काव्य-कलश' समय समय पर, साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वालों का सारस्वत सम्मान करती रही हैं। उसी कड़ी में इस बार कवि विष्णु शर्मा हरिहर को अपने मुख्यालय पर सम्मानित किया। यह सम्मान उत्सव संस्था का 76वाँ कार्यक्रम था। इस बारे में संस्था के अधिष्ठाता संस्थापक प्रख्यात कवि डॉक्टर लोकमान गिरि गिरिवर ने बताया कि काव्यकलश अपने सारस्वत सम्मानों में क्वान्टिटी का नही, क्वालिटी का ही ध्यान रखा जाता हैं। कवि विष्णु शर्मा हरिहर राष्ट्रीय भक्तिभाव के प्रख्यात विचारक, वक्ता और हिन्दी/राजस्थानी भाषा के कवि रहे हैं। उनकी लगभग 18 पुस्तकें हिन्दी और हाड़ौती में प्रकाशित हैं। डॉक्टर गिरी न कवि हरिहर को मुक्ता माल, केसरिया अंगवस्त्र, चांदी-पूजनपात्र सेट और सम्मान पट्ट प्रदान किया। समारोह के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि भगवती प्रसाद गौतम और रामेश्वर शर्मा रामूभैया के संचालन में हुई अति-दुर्लभ वैष्णवी काव्यगोष्ठी में डॉ.गिरी, कवि हरिहर, वीणा अग्रवाल, योगीराज योगी, ज्ञान गंभीर, सुरेन्द्र सिंह हाड़ा, प्रेमशास्त्री, कुमारी राधान्शी, कोमल रोटेदा, लक्ष्मी, देवकी दर्पण, अनुराधा शर्मा, गरिमा गर्विता आदि ने एक से बढ़कर एक काव्यपाठ किया।

आज 8 घण्टे जलापूर्ति बंद रहेगी

कोटा, (निसं)। शहरी जल योजना के 130 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र सकतपुरा के इन्टेक वेल पम्प हाउस पर 11/33 के.वी. ब्रेकरों, पैनलों, विद्युत उपकरणों का रख-रखाव तथा 11 के.वी. केबल ज्वॉइन्ट किट आदि को बदलने के लिए 18 नवम्बर (मंगलवार) को प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक जल शोधन संयंत्र से जलापूर्ति बन्द रहेगी। अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी नगर खण्ड द्वितीय श्याम माहेश्वरी ने बताया कि जलापूर्ति से प्रभावित क्षेत्रों में सकतपुरा, नान्ता, बालिता, सम्पूर्ण कुन्हाड़ी, बड़गांव जोन, सम्पूर्ण बून्दी रोड क्षेत्र, शम्भूपुरा जोन, नयाखेडा, नयापुरा, सिविल लाईन्स, लाड़पुरा, खाईरोड, खण्ड गांवड़ी, दोस्तपुरा, आर्मी क्षेत्र, खेड़ली फाटक, मालारोड, जनकपुरी, गुरूद्वारा रोड़, भीमगंजमण्डी, डडवाड़ा, सम्पूर्ण स्टेशन क्षेत्र, कैलाशपुरी जोन, भदाना जोन, कालातालाब जोन, सोगरिया जोन, आकाशवाणी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस लाईन रोड़ की समस्त कॉलोनियां, आर.के. नगर, शिव नगर, बोरखेडा जोन, बारां रोड, नया नोहरा जोन, चन्द्रेसल जोन, रोटेदा, रायपुरा जोन में जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। मंगलवार को सांयकालीन जलापूर्ति कम जल दबाव से होगी। अगले दिन बुधवार से जलापूर्ति सामान्य रहेगी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के पेयजल उपभोक्ताओं से प्रातः काल की सप्लाई के समय में ही पेयजल संग्रहण करके रखने की अपील की।

आईपीआर वेल्यू एडेड कोर्स का प्रारम्भ

कोटा, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय, कोटा की बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ एवं नवाचार प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आईपीआर की वेल्यू ऐडेड कोर्स का शुभारभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रो.प्रतिमा श्रीवास्तव ने की तथा विद्यार्थियों को नवाचार करने हेतु प्रेरित करते हुये अपने नवाचार को कानूनी रुप से सुरक्षित करने हेतु पेटेन्ट करने के लिए प्रेरित किया। प्रो.वी.के. पंचोली सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, परिक्षेत्र कोटा ने आयुक्तालय द्वारा नवाचार के क्षेत्र में विद्यार्थी हित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रुप में शीब्राइट की सीईओ सौम्या ने आईपीआर की सामान्य जानकारी देते हुये कॉपीराईट, ट्रेडमार्क एवं ट्रेडसिकरेट किस प्रकार प्राप्त किये जाते है तथा इनके क्या लाभ है के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। कार्यक्रम संयोजक प्रो.नीरजा श्रीवास्तव ने पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुये इस पाठ्यक्रम की उपादेयता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रकोष्ठ प्रभारी प्रो.नीलकमल राठौर ने सभी का स्वागत करते हुये प्रकोष्ठ की गतिविधियों की जानाकरी दी। कार्यक्रम में डॉ.नरेश कुमार नायक एवं आईस्टार्ट संयोजक योगेश कुमार का विशिष्ट सहयोग रहा।

कबीर आश्रम में नेत्र शिविर कल

कोटा, (निसं)। कबीर पारख संस्थान कोटा एवं बिरला आई हॉस्पिटल के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर 19 नवम्बर बुधवार प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक विनोबा भावे नगर स्थित कबीर पारख संस्थान कबीर आश्रम कोटा में आयोजित किया जा रहा है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

Email-sdokot-kot-rj@nic.in, 0744-2325871

क्रमांक :- वसूली/अ.प्र./2025/2383 दिनांक :- 04/11/2025

जरिये : सचिव कृषि उपज मंडी इटावा।

नीलामी विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति इटावा व 102 किसानों की बकाया राशि वसूली बाबत् भू-राजस्व अधिनियम की धारा 229 सपठित धारा 256-257 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 20/2022-2023, कृषि उपज मंडी बनाम कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी इटावा कोटा मालिक मैना गर्ग पत्नि अरविन्द गोयल निवासी बी-75 शुभ आंगन कॉलोनी रायपुरा कोटा की इस कार्यालय के कुर्की आदेश कमांक/वसूली/2022/563, दिनांकः 12/10/2022 तथा 662 दिनांक 28.12.2022 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा बाकीदार मैना गर्ग की कुर्कशुदा अचल सम्पत्ति राजस्व ग्राम कसार की ख० संख्या 1863/1074 क्षेत्रफल 0.72 है0 (0.04 है० बा.प्र. भूमि तथा 0.68 आद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित) भूमि तथा कुर्कशुदा मकान बी-75, शुभ आंगन कॉलोनी, रायपुरा कोटा की अलग-अलग सार्वजनिक नीलामी दिनांकः 08/12/2025 को स्थान तहसील कार्यालय लाडपुरा कोटा पर प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक पुकरवाई जाएगी।

अतः इच्छुक व्यक्ति बोली लगाने हेतु दिनांक 08/12/2025 को मौके पर उपस्थित होकर बोली लगावें।

बोली की शर्तें:

1. बोलीदार को बोली लगाने से पूर्व 10,000/- रू राशि जमा करवानी होगी।
2. बोली समाप्त होने पर बोली की चौथाई राशि जमा तुरन्त करानी होगी।
3. बोली को स्वीकृत करने/नहीं करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
4. बोली स्वीकृत होने पर शेष राशि 15 दिवस में जमा करानी होगी। उक्त अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में चौथाई राशि जब्तराज कर पुनः नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।
5. अन्य शर्तें जो वक्त बोली निर्धारित की जावे वो राज० राज भू-राजस्व अधिनियम के तहत ही मान्य होगी।

राज.संवाद/सी/25/13975 **उपखण्ड अधिकारी**

कार्यालय नगर परिषद बारां (राज.)

क्रमांकः-नपबा/ तामीर शाखा/2025/7202 **लोक सूचना** दिनांक 13.11.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री शिवशंकर निवासी बारां द्वारा उपविभाजन चाहा गया है। जिसमें पट्टा संख्या 3466 दिनांक 28.10.2021 भूखण्ड संख्या 47 माप 1050 वर्गफीट, योजना विनायक विहार का श्रीमति उषा कुमारी पत्नी श्री बजरंगलाल के नाम जारी किया गया था। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.10.2025 से उक्त भूखण्ड में से भूखण्ड संख्या 47ए माप 525 वर्गफिट श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री शिवशंकर के नाम बेचान कर दिया। आवेदक द्वारा नगर परिषद बारां से अंकित मापो पर उपविभाजन चाहा गया है। जिसमें भूखण्ड संख्या 47ए माप 525 वर्गफिट श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री शिवशंकर के नाम किया जाना है। व शेष भाग पट्टाधारक का ही रहेगा। उक्त सम्पत्ति के संबंध में अन्य किसी को आपत्ति हो तो अन्तर 7 दिवस में आपत्ति मय दस्तावेजो के साथ कार्यालय हजा में प्रस्तुत करे। बाद अवधि गुजर जाने पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी। **आयुक्त, नगर परिषद बारां**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांकः-नपबा/रुपा./2025/7082-83 **लोक सूचना** दिनांकः-10.11.2025

श्री महावीर माथोड़िया पुत्र श्री हीरालाल माथोड़िया व चंद्रकला पत्नी श्री महावीर माथोड़िया जाति धाकड़ निवासी राजपुरा वार्ड प्रताप चौक बारां तह. व जिला बारां राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां तहसील व जिला बारां	कल्याणपुरा	151,233	3.72 है. में से 15600 वर्गमीटर

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.......को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ11/ विक्रय/2025/598 दिनांकः-17.11.25

रजिस्ट्री चाहने बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-391 केशवपुरा 7 आवासीय योजना का आवंटन न्यास के पत्र कमांक-162 दिनांक 04.12.1986 द्वारा श्री नन्द किशोर पुत्र श्री कन्हैया लाल कराड को आंवटित किया गया था। श्री नन्द किशोर के द्वारा श्री चौथमल खरेडिया पुत्र श्री मॉगीलाल को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया है। श्री चौथमल खरेडिया पुत्र श्री मॉगीलाल के द्वारा मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड कि रजिस्ट्री चाही गई है। श्री चौथमल खरेडिया पुत्र श्री मॉगीलाल के द्वारा अपन नाम उक्त भूखण्ड कि रजिस्ट्री हेतु आवेदन किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस रजिस्ट्री की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखण्ड संख्या-391 केशवपुरा-7 आवासीय योजना कि रजिस्ट्री जर्ये मुख्तारआम श्री चौथमल खरेडिया पुत्र श्री मॉगीलाल नाम से जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ11 विक्रय/2025/498 दिनांकः-17.11.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 391 मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 379 दिनांक 02.11.2015 को श्रीमती शोभा गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता के नाम आवंटन किया गया था। श्रीमती शोभा गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.12.2017 को श्री प्रभू लाल सिकरवाल पुत्र श्री गंगाराम सिकरवाल को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्री प्रभू लाल सिकरवाल पुत्र श्री गंगाराम सिकरवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 391 मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री प्रभू लाल सिकरवाल पुत्र श्री गंगाराम सिकरवाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-1680 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-17.11.25

नगर विकास न्यास कोटा की श्रीरामकृष्णपुरम-ई आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 67 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 25.02.2010 को श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री गजानन्द शर्मा को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री संतोष कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.10.2017 को श्रीमती वैशाली पोरवाल पत्नी श्री संतोष पोरवाल को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 67 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-ई आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती वैशाली पोरवाल पत्नी श्री संतोष पोरवाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा (राज.)

लक्ष्मीनारायण मीणा विरुद्ध अखिलेश नागर

बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

वाद सं. 468 सन् 2024

(1) रामकिशन पुत्र श्री कालूलाल, स्थान-वार्ड नं.-9 तहसील अन्ता जिला बारां (राज.) (2) कुन्दन सिंह पुत्र श्री हजारी लाल, स्थान-डीसीएम मेन रोड पेट्रोल पम्प के सामने रायपुरा कोटा (3) श्याम बिहारी पुत्र श्री परमानन्द नागर, स्थान-प्लाट नं. ए-54 शक्ति नगर दशहरा मैदान कोटा (4) अखिलेश नागर पुत्र श्री परमानन्द नागर, स्थान-प्लाट नं. ए-54 शक्ति नगर दशहरा मैदान कोटा

.........ने आपके विरुद्ध........ के लिए संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 21 माह 11 सन् 2025 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 13 माह 11 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया है।

मोहर अदालत

रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा (उत्तर)